सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : श्री छोगाराम देवासी, आर.ए.एस.)

प्रकरण स : 04/2014 (प्रा.प. आवंटन निरस्त)
RCMS NO: 2014/00037

अनवान

1. श्री दिनेश कुमार पिता खातुजी गरासिया, निवासी बरोड़वाड़ा (करावाड़ा) तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर

— प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमति कुरी पत्नि रामा पटेल, निवासी करावाड़ा, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर।
2. उपखण्ड़ अधिकारी खेरवाड़ा, जिला उदयपुर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खेरवाड़ा, जिला उदयपुर।

— विपक्षीगण

उपस्थित

1. श्री लोकेश मेनारिया, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1

अपील प्रार्थनापत्र अंतर्गत नियम 14 (4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 बावत आवंटन निरस्त कराये जाने

* निर्णय *

दिनांक 02-07-2018

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय मे प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 के प्रस्तुत किया कि आराजी संख्या 3826 रकबा 0.60हे. भूमि मौजा करावाड़ा मे स्थित है, जिसकी किस्म मगरी थी, किन्तु उस पर प्रार्थी का कब्जा उसके पिता के समय से करीब 50 वर्षो से चला आ रहा है, जिसमे होने वाली घास मे मवेशी चरते है एवं चारो ओर थुअर की बाड़ लगा रखी हो रिजवे एवं सागवान के वृक्ष लगे हुए हैं। उक्त आराजी के पास ही प्रार्थी के खातेदारी की भूमि हैं। विपक्षी संख्या 1 भूमिहीन न हो जाति से पटेल होकर वंशानुसार करीबन 20 बीघा भूमि स्थित हैं। विपक्षी संख्या 1 ने प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि का दिनांक 11.02.2013 को गांव करावाड़ा मे विशेष राजस्व अभियान के दौरान खसरा संख्या 3826 रकबा 0.60हे. भूमि का आवंटन स्वयं के नाम पर करा लिया। आवंटन से पूर्व आवंटन कमेटी ने मौके पर भूमि की स्थिति, विवरण आदि का आकलन व निरीक्षण नहीं किया व कार्यालय मे बैठकर आवंटन कर दिया। आवंटन के पश्चात् विपक्षी संख्या 1 को कब्जा सुपुर्द नहीं किया गया हैं। आवंटन मे सही तथ्यों का उल्लेख नही होने से मिसप्रजेन्टेशन हुआ हैं। आवंटन मे राजस्थान एलोटमेंट ऑफ लेण्ड़ फोर एग्रीकल्चर परपजेज रूल्स 1970 के नियम 5 से 11 की पालना नहीं हुई है। प्रार्थी भूमिहीन काश्तकार हो उसके कब्जे को नियमन न करके विपक्षी संख्या 1 को गलत तरीके से भूमि का आवंटन कर दिया गया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना

पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षी संख्या 1 के पक्ष मे किया गया आवंटन नियम विरूद्ध होने से निरस्त किया जावे।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये गये एवं अपना पक्ष एवं प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया गया। विपक्षी स. 1 की ओर से अधिवक्ता द्वारा वकालात पत्र प्रस्तुत किया, किन्तु प्रकरण मे कोई जवाब पेश नहीं किया। तहसीलदार से विवादित आराजी पर किसका कब्जा है तथा कौन काश्त कर रहा है आदि की सूचना चाही गई। तहसीलदार द्वारा अपने पत्र क्रमांक 207 दिनांक 09.03.2017 से प्रेषित मौका पर्चा रिपोर्ट द्वारा न्यायालय को अवगत कराया है कि मौजा करावाड़ा की आराजी संख्या 3826 रकबा 0.60हे. भूमि विपक्षी संख्या 1 श्रीमति कुरी पत्नि रामा पटेल, निवासी करावाड़ा के नाम गैर खातेदार के रूप मे दर्ज रेकर्ड हैं। मौके पर दोनो ही पक्षों का विवादित कब्जा होना जाहिर आया है। आराजी संख्या 3826 रकबा 0.60हे. पर किसी प्रकार की काश्त नहीं की गई है एवं न ही किसी प्रकार का निर्माण कार्य किया गया है। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत खसरा गिरदावरी रिपोर्ट मे भी काश्त करना जाहिर नहीं आया हैं। तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त होने पर उपखण्ड़ अधिकारी से आवंटन से संबंधित मूल पत्रावली संख्या 141/2013 तलब की जाकर बहस हेतु तिथि नियत की गई।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्रार्थी अधिवक्ता को न्यायालय समय मे बार बार आवाजे लगवाने के उपरान्त भी अनुपस्थित रहने से प्रकरण मे एकतरफा बहस सुनी गई। रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता द्वारा बहस मे स्पष्ट किया कि विपक्षी संख्या 1 को उक्त भूमि का आवंटन नियमानुसार किया गया है। आवंटन कमेटी के कोरम पर समस्त सदस्यों के हस्ताक्षर मौजुद है। आवंटन मे किसी भी प्रकार का मिसप्रजेन्टेशन हुआ हो, ऐसा कोई तथ्य पत्रावली पर मौजुद नहीं हैं। विधि अनुरूप समस्त प्रक्रिया आवंटन के वक्त अपनायी जाकर ही आवंटन किया गया है। आवंटन के पश्चात् विधिवत कब्जा पटवारी हल्का द्वारा सुपुर्द किया गया है। वक्त आवंटन भूमि बिलानाम सरकार दर्ज थी एवं मौके की विधिवत जांच उपरान्त ही विपक्षी संख्या 1 को आवंटन हुआ हैं। अतः विपक्षी स. 1 के पक्ष मे किये गये आवंटन को बहाल रखा जाकर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को खारिज किया जावें।

हमने विपक्षी संख्या 1 के विद्वान अधिवक्तां की एक तरफा बहस सुनी एवं पत्रावली मे उपलब्ध प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, आवंटन पत्रावली, तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट एवं उसमे वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया एवं उन पर गंभीरता से मनन किया। प्रकरण मे विवाद विपक्षी संख्या 1 को आवंटित आराजी संख्या 3826 रकबा 0.60हे. भूमि का है, जिस पर उभय पक्ष द्वारा अपना अपना कब्जा बताया जा रहा हैं। आवंटन पत्रावली संख्या 141/2013 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विपक्षी संख्या 1 श्रीमति कुरी पत्नि रामा द्वारा आवेदन करने पर पटवारी हल्का व भू.अ. निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर उक्त भूमि का आवंटन विपक्षी स. 1 को किया गया है। आवंटन कमेटी के कोरम पर विधायक, विकास अधिकारी, सरपंच, प्रधान, तहसीलदार आदि के हस्ताक्षर मौजुद हो उपखण्ड़ अधिकारी के हस्ताक्षर अध्यक्ष के रूप मे आवंटन पत्रावली पर उपलब्ध है। आवंटन के पश्चात् कब्जा सुपुर्दगी पत्र पर पटवारी हल्का, भू.अ.निरीक्षक आवंटी के

हस्ताक्षर मौजुद हैं। प्रार्थी द्वारा प्रकरण मे विवादित आराजी पर आवंटन के पूर्व से स्वयं का कब्जा होना अवश्य अवगत कराया है, किन्तु प्रकरण मे प्रार्थी इसकी पुष्टि हेतु न तो कोई पुरानी जमाबंदी इत्यादि की रिपोर्ट सलंग्न की है और न ही धारा 91 के नोटिस आदि सलंग्न किये है, जिससे यह साबित हो सके की प्रार्थी का उक्त विवादित भूमि पर पुराना कब्जा विपक्षी स. 1 को किये गये आवंटन के पूर्व से चला आ रहा हो। यदि प्रार्थी का उक्त भूमि पर पुराना कब्जा होता तो उस पर अवश्य ही धारा 91, भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत कार्यवाही की जाकर पेनाल्टी आरोपित की जाती, जिसकी रसीदे प्रार्थी के पास उपलब्ध होती, जो प्रार्थी का कब्जा साबित करती। प्रार्थी एवं उनके अधिवक्ता कब्जे के संबंध मे धारा 91, भू राजस्व अधिनियम 1956 की रसीदे प्रस्तुत करने मे असफल रहे हैं। आवंटन मे किसी प्रकार का मिसप्रजेन्टेशन हुआ हो, ऐसा कोई दस्तावेज भी पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। आवंटन के पश्चात् बिना किसी आधार के किसी भी आवंटी के आवंटन को निरस्त कर उसे भूमि से बेदखल करना हम न्यायोचित नहीं समझते है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है तथा मौजा करावाड़ा, तहसील खेरवाड़ा की आराजी संख्या 3826 रकबा 0.60हे. भूमि पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा मिसल नम्बर 141/2013 से विपक्षी संख्या 1 के पक्ष मे किया गया आवंटन आदेश दिनांक 11.02.2013 को यथावत रखा जाता हैं।

निर्णय आज दिनांक 02.07.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

(छोगाराम देवासी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर